

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): SIRMAUR(NAHAN) Year(वर्ष): 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0006 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 28/06/2022 04:48 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	4
2	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	5
3	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From(दिनांक से): Date To(दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 28/06/2022 Time (समय): 04:09 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 013 Time (समय): 28/06/2022 04:09 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 120 Km(s) Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता): Uttri Patan, Kumarli, Shillain
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SI Paramjeet Singh EO PS. SVACB NAHAN
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 04/10/1969 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय): GOVT. OFFICIAL NON-GAZETTED

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

1	Present Address	VILLAGE-EO PS.SVACB NAHAN, TEHSIL-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-EO PS.SVACB NAHAN, TEHSIL-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):91-7018286803

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Contractor Bir Singh Chauhan		VILLAGE-Chiyali, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Chiyali, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Contractor Geeta Ram		VILLAGE-Utari, TEHSIL-Shillain, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA VILLAGE-Utari, TEHSIL-Shillain, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Utari, TEHSIL-Shillain, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA VILLAGE-Utari, TEHSIL-Shillain, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
3	JE Yashpal Sharma		VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
4	JE Inder Dev		VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
5	JE Avinash Thakur		VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Jal Shakti Division Shillai, TEHSIL-Shillai, PS-SHILLAI, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
-----------------	-----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय उप निरीक्षक परमजीत सिंह, जांच अधिकारी, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नाहन जिला सिरमौर ने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जिसका विवरण इस प्रकार से है, सेवा में, उप-पुलिस अधीक्षक महोदय, थाना रा०स० एवं भ० रोधी ब्यूरो नाहन, जिला सिरमौर (हि० प्र०)। विषय: शिकायत पत्र संख्या 25/SR//2019 दिनांक 02-12-2020 की जांच रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त शिकायत पत्र की जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई है। शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता (1) श्री सूरत सिंह पुत्र स्व० श्री काँशी राम, (2) श्री बली राम शर्मा पुत्र स्व० श्री हीरा सिंह, (3) श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री नैन सिंह शर्मा, (4) श्री जगत सिंह पुत्र श्री जंगली राम, (5) दया राम पुत्र श्री जालम सिंह, (6) सैन सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह (7) तुलसी राम पुत्र श्री शेर सिंह (8) शेर सिंह पुत्र श्री नानडू राम (9) बारू राम पुत्र श्री किडवा राम (10) सुनील पुत्र श्री खत्री राम (11) कुंदन सिंह पुत्र श्री खत्री राम। सभी निवासी गाँव उत्तरी, डा० 0 व तह० शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने आरोप लगाये है कि “(1.) हि० प्र० सरकार ने उत्तरी-पाटन-कुम्हारली इत्यादि गाँवों के लिये उठाऊ सिंचाई योजना के लिये लगभग राशि=1.15,00.000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) स्वीकृत की थी, जिससे इस योजना को पूर्ण करना था। (2.) उपरोक्त योजना का टेंडर जिस ठेकेदार के नाम हुआ उसने टैंकों में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इन स्टोर टैंकों में पानी नहीं टिक पा रहा है और पानी लीकेज होता है। (3.) यह कि इस योजना में उपरोक्त राशि को खर्च करने के बावजूद भी आज तक ग्रामीण वासियों को इस का पानी नसीब नहीं हुआ क्योंकि इस पाइप लाइन में पानी आज तक कभी पूर्ण रूप से आया ही नहीं। (4.) ठेकेदार द्वारा इस योजना में बिछाई गयी पाइपें भी जमीन के उपर, बिना नाली बनाए बिछाई गयी है और कहीं पर तो पाइपों को जमीन में दबाने की बजाए पेड़ों पर लटका रखी है जो कि खुलमखुला सरकारी धन का दुरुपयोग नजर आता है। (5.) पानी के स्टोर टैंकों में घटिया सामग्री का प्रयोग करना, निश्चित जगह पर पानी के स्टोर टैंक न बनाना, बिना नाली खोदे पाइप को बिछाना व पाइप लाइन को पेड़ों पर लटका के ले जाना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग

द्वारा इस योजना को पूर्ण बनाना व अपनी N.O.C. देना, कही न कहीं विभाग कि सलिमता नजर आती है। शिकायत पत्र की जांच के दौरान उपरोक्त आरोप क्रम सं0 2 के अतिरिक्त अन्य आरोप साबित नहीं हुए हैं। आरोप क्रम संख्या 2 की जांच के दौरान विवादित पानी के टैंक क्रमशः मेन डिलवरी टैंक, डिलीवरी टैंक नम्बर 1 व डिलीवरी टैंक नं0 2 के कंक्रीट नमूने हि0 प्र0 लो0 नि0 विभाग की तकनीकी टीम के माध्यम से लेकर, परीक्षण हेतु SFSL जुना भेजे गये, जहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। SFSL Report के अनुसार यह आरोप कि, डिलीवरी टैंक में घटिया निर्माण सामग्री (कंक्रीट) का इस्तेमाल किया गया है, सही साबित पाए गये हैं, जबकि उक्त अन्य उपरोक्त आरोप साबित होने नहीं पाए गये हैं। जांच पर पाया गया कि उपरोक्त टैंक के निर्माण का ठेका ठेकेदार श्री बीर सिंह चौहान निवासी चियाली, तह0 शिलाई, जिला सिरमौर को, 4909544/- (उन्चास लाख नौ हजार पाँच सौ चवालीस) रूपयों में एवं ठेकेदार श्री गीता राम निवासी ग्राम उत्तरी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) को 253455/- (दो लाख तिरपन हजार चार सौ पच्चीस) रूपयों में दिया गया था। उपरोक्त निर्माण हेतु, मुताबिक अभिलेख, ठेकेदार गीता राम को 255517/- रूपये व ठेकेदार बीर सिंह को 350000/- रूपये व इस प्रकार कुल राशि 605517/- रूपये अदा की गई। SFSL रिपोर्ट के अनुसार एवं तदनुसार प्राप्त की गई तकनीकी राय से, ठेकेदार गीता राम द्वारा किये गये कार्य का कुल मूल्य 152211/- रूपये व ठेकेदार बीर सिंह द्वारा किये गये कार्य का कुल मूल्य 240500/- रूपये पाया गया। इस प्रकार ठेकेदार गीता राम द्वारा 103306/- रूपये का गबन व ठेकेदार बीर सिंह द्वारा 109500/- रूपये का गबन करना पाया गया है। SFSL report के आधार पर, तकनीकी राय के अनुसार उक्त दोनों ठेकेदारों क्रमशः बीर सिंह व गीता राम के कार्य का कुल मूल्य राशि मात्र 392711/- रूपये पाई गई व दोनों उक्त ठेकेदारों द्वारा किया गया गबन कुल 212806/- रूपये पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा, उपरोक्त टैंक में, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके कुल 212806/- रूपये का गबन करके हि0 प्र0 सरकार को नुकसान पहुँचाया है। उपरोक्त कार्यों के निर्माण के सम्बन्ध में, मौका पर निरन्तर देखभाल, निरीक्षण एवं "Officer-in-charge" के तौर पर उत्तरदायित्व, उस समय जल शक्ति मण्डल शिलाई में कार्यरत (1) कनिष्ठ अभियन्ता श्री यशपाल शर्मा (2) कनिष्ठ अभियन्ता श्री इन्द्र देव (3) कनिष्ठ अभियन्ता श्री अविनाश ठाकुर का था व जिन्होंने सम्बन्धित MBs (measurement Books) में, उपरोक्त कार्यों के निर्माण सामग्री का सही अनुपात दर्शाया है, जबकि SFSL रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण सामग्री का अनुपात निम्न स्तर का पाया गया है। अतः इस प्रकार उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (J.E.s) द्वारा, उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित MBs गलत भरना पाई जा रही है। जो इस प्रकार ठेकेदार बीर सिंह चौहान व ठेकेदार श्री गीता राम उपरोक्त द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का, निर्माण सामग्री के बारे में उल्लंघन करके, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाना पाया जा रहा है, जिस कारण उपरोक्त टैंकों के कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है व सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उपरोक्त कार्यों में उस समय कार्यरत (1) कनिष्ठ अभियन्ता श्री यशपाल शर्मा (2) कनिष्ठ अभियन्ता श्री इन्द्र देव (3) श्री अविनाश ठाकुर द्वारा भ्रष्ट तरीके से पर्यवेक्षण/निरीक्षण में जानबूझ कर अनदेखी की है तथा उक्त कार्यों से सम्बन्धित MBs गलत भरी है। ठेकेदार बीर सिंह चौहान व ठेकेदार श्री गीता राम उपरोक्त का यह उक्त कृत्य धारा 4, The Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 एवं धारा 467, 468, 471, 120-B IPC का तथा (1) कनिष्ठ अभियन्ता श्री यशपाल शर्मा (2) कनिष्ठ अभियन्ता श्री इन्द्र देव (3) श्री अविनाश ठाकुर उपरोक्त का उक्त कृत्य धारा 5 व 6, The Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 एवं धारा 467, 468, 471, 120-B IPC का अपराध किया जाना पाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सतर्कता मुख्यालय के पत्र सं. SV&ACB (R/SR-HQ) Comp (NHN)25/SR/2019-13124 दिनांक, 24-06-2022 के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय SV&ACB, SR शिमला के कार्यालय पत्र पृष्ठांकन संख्या SV&ACB(R-SR) Comp.(NHN)25/SR/2019-4744 दिनांक 25.06.2022 के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने हेतु थाना को प्रेषित किया गया है। अतः अभियोग पंजीकृत किया जाए। Sd/- परमजीत सिंह (उप-निरीक्षक), रा0स0 एवं भ्र0रोधी ब्यूरो नाहन, जिला सिरमौर (हि.प्र.)। दिनांक 28.06.2022. कार्यवाही अजथाना: शिकायत पत्र उपरोक्त से मामला अन्तर्गत धारा 4, 5 व 6, The Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 एवं धारा 467, 468, 471, 120-B IPC का पाया जा रहा है। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरी प्रतियाँ तैयार की जा रही हैं। जो कि माननीय अदालत व उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही स्पेशल रिपोर्ट समझा जाए। मिश्र मुकदमा आगामी अन्वेषण हेतु निरीक्षक मोती सिंह को दी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Moti Singh Thakur

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Tarnjeet Singh

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No(सं.): NA

15.Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
2	Male					
3	Male					
4	Male					
5	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)